न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 60/2023

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. मोहन लाल पुत्र वीरभान जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. कपिल देव पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. गंगाजल पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। अविवाहित फौत 2/1 रामलाल उर्फ हरजी राम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. गायत्री देवी पत्नी दयाशंकर जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. नीलम सिहाग पत्नी राजेन्द्र सिहाग जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। 5. बोगी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। 6. भोमा राम पुत्र मनफुल राम जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। 7. महेन्द्रपाल पुत्र भगवाना राम जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। 8. रघुवीर पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। 9. राजेन्द्र पुत्र मनफुल राम जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। 10. रामलाल उर्फ हरजी राम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। 11. संजय कुमार पुत्र अमर सिह जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। 12. संतोष पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। 13. सुभाष पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। 14. सुमन पत्नी संजय सिहाग जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तह0 श्री करनपुर जिला श्रीगंगानगर। 15. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 18.04.2023

उपस्थितः1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

---निर्णय--- दिनांकः 21.08.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 34 एच, पटवार मण्डल बुर्जवाला की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/9 में मुरब्बा नं0 49, 50, 70, 111/5 में कुल रकबा 13.590 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि पक्षकारान के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है, जिसमें वादी का 604/2719 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है। पक्षकारान आपस में एक ही परिवारजन एवं एक ही गांव के सदस्य है। पक्षकारान ने काफी समय से आपसी सहमति से उक्त संयुक्त खाता की भूमि का विभाजन कर रखा है, जिसके अनुरूप वादी के पास चक 34 एच के खाता संख्या 10/9 में मुरब्बा नं0 49 के किला नं0 20 का आधा, किला नं0 21, 22, 23,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

24, 25 प्रत्येक सालम सालम व मुरब्बा नं0 50 के किला नं0 2 का आधा, किला नं0 3, 8, 9, 13, 18, 23 प्रत्येक सालम सालम यानि कुल 12 बीघा नहरी भूमि मय खाला भूमि का कब्जा शांतिपूर्वक, निर्बाध, निरंतर चला आ रहा है। कब्जा के संबंध में कोई वाद-विवाद नहीं है। उक्त भूमि पर वादी का काफी समय से शांतिपूर्वक, निरंतर, निर्बाध रूप से काश्तकार की हैसियत से काबिज काश्त चला आ रहा है, लेकिन उक्त सम्पति संयुक्त खाता में होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादी को अपने हिस्सा की कृषि भूमि, हिस्सा-ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, केन्द्र/राज्य सरकार से कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता इत्यादि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। चूंकि वर्तमान में वादी का परिवार काफी बढ़ चुका है। भविष्य में वादी के बच्चो को उक्त कृषि भूमि के संबंध में किसी प्रकार से वाद विवाद न हो और वह शांतिपूर्वक भूमि का उपयोग कर सकें। इस कारण वादी अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को अलग से किलावाईज विभाजन करवाना चाहता है तथा वादी के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादी अपने नाम कायम करवाना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा है कि संयुक्त खाता की कृषि भूमि का विभाजन करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण संयुक्त खाता में भूमि होने व अन्य पारिवारिक असमर्थता का हवाला देकर टाल-मटोल कर रहे है। आज से 10 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण को संयुक्त खाता की भूमि का विधिवत जोत विभाजन करवाकर, पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार काबिज किलाजात अपने अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इंकार हो गये है। उसी रोज वादी को वादहेतुक उत्पन्न हुआ। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व चक 34 एच के खाता संख्या 10/9 में मुरब्बा नं0 49 के किला नं0 20 का आधा, किला नं0 21, 22, 23, 24, 25 प्रत्येक सालम सालम व मुरब्बा नं0 50 के किला नं0 2 का आधा, किला नं0 3, 8, 9, 13, 18, 23 प्रत्येक सालम सालम यानि कुल 12 बीघा नहरी भूमि मय खाला का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर, वादी के हिस्सा में आयी भूमि का अलग से खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2/1, 3 ता 14 बाद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर जवाब बन्द किया जाता है। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादी का वादपत्र प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 34 एच, पटवार मण्डल बुर्जवाला की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/9 में मुरब्बा नं0 49, 50, 70, 111/5 में कुल रकबा 13.590 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में वादी मोहन सिंह के हिस्सा में 3.020 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। शेष खाता एवं

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

रहन बदस्तूर रहें। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादी एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

मोहनलाल बनाम कपिल देव आदि

धारा अन्तर्गत **88,53,91 आरटीए** मुकदमा नम्बर **60/2023**

निर्णय दिनांक :- 21.08.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू** के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 34 एच, पटवार मण्डल बुर्जवाला की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 10/9 में मुरब्बा नं0 49, 50, 70, 111/5 में कुल रकबा 13.590 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में वादी मोहन सिंह के हिस्सा में 3.020 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादी व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादी एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 21.08.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांक: 21.08.2023

क्रमांक: रीडर/ 2023/445
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)